न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 31/2007 दिनांक–05–05–2007

1. केदारमल पुत्र दुर्गाराम सैनी जाति माली निवासी ग्राम सैनीपुरा (डूण्डलोद) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. राजस्थान–सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज्य राजस्थान

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़
वकील अनावेदक :– राज पैरोकार

वाद पत्र :– आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 व अ0आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा अ0धारा 151 जाब्ता दीवानी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

आदेश

दिनांक 17–02–2020

आवेदक ने प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डूण्डलोद की सरहद में भूमि खसरानम्बर 807 तादादी 23 बीघा 10 बीश्वा पुख्ता स्थित थी, जिसका उप कृषक सम्वत 2009 में आवेदक का स्वर्गीय दादा दूदीया उर्फ दूदा वल्द मंगला था। यह भूमि कभी–भी गैर मुमकीन जोहड के रूप मे नही है, वास्तव मे यह कृषि भूमि थी जिसकों गलती से राजस्व रिकार्ड में जोहड दर्ज करवा दी गई। इस भूमि में से समवत 2010 में 4 बीघा पुख्ता भूमि में आवेदक के स्वर्गीय दादा ने ग्वार की फसल काश्त की थी व सम्वत् 2011 में 20 बीघा पुख्ता भूमि में आवेदक के स्वर्गीय दादा ने बाजरा मोठ व ग्वार काश्त किया था तथा सम्वत 2012 मे भी आवेदक के दादा ने 22 बीघा भूमि में बाजरा मोठ व ग्वार आदि काश्त किया था ओर लगान के रूप में ठिकाना डूण्डलोद के घोडी के लिए घास पैदा करता था और घोडो के लिए घास व इस भूमि की लूंग आदि ठिकाने में दे देता था जिससे स्पष्ट है कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 807 तादादी 23 बीघा 10 बीश्वा पुख्ता कभी भी जोहड व चारागाह आदि के रूप में नही रही है। वास्तव में ये भूमि कृषि भूमि थी, परन्तु ठिकाने के घोडो की चराई के लिये घास पैदा करने के कारण इस भूमि को गलती के राजस्व रिकार्ड में जोहड दर्ज करदी गई थी।

इसके पश्चात सम्वत् 2013 में इस भूमि के खसरा नम्बर 807/1 तादादी 129 बीघा 13 बीश्वा व खसरा नम्बर 807/2 तादादी 3 बीघा 17 बीश्वा बनाये गये, उस वक्त भी आवेदक के स्वर्गीय दादा ने बाजरा मोठ व ग्वार आदि की फसल काश्त की थी। इसके अतिरिक्त इस भूमि मेसे डूण्डलोद ठिकाना की तरफ से 3 बीघा 9 बीश्वा पुख्ता भूमि की खातेदारी भी हनुमानबक्स वल्द दुर्गाराम के नाम से जारी की गई थी जो हनुमानबक्स के वारीसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज हो गई थी जिससे भी स्पष्ट है कि भूमि पुराने खसरा नम्बरी 807 कभी भी जोहड की भूमि नही रही है। हनुमान बक्स के नाम से जारी पर्चा खतौनी में भी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

की किस्म बारानी अव्वल दर्ज की गई है और भूमि काश्त होती रही है जिससे भी स्पष्ट है कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 807 ना तो कभी जोहड़ की भूमि रही है और ना ही कभी सार्वजनिक रूप से पशु चराई आदि के नाम में आई है। इसके पश्चात भूमि खसरा नम्बर 807 के उप खसरा नम्बर 807/1 लगायत 807/7 डाले गये , जो भी कृषि कार्य के उपयोग मे आते रहे है और अलग–अलग लोगों की खातेदारी मे दर्ज होते रहे है जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार काश्त भी करते रहे है। इस प्रकार यह भूमि हमेशा से कृषि भूमि के रूप में रही है ओर कृषि के ही काम में आती रही है।

उपरोक्तानुसार ग्राम डूण्डलोद की सरहद में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 807 तादादी 23 बीघा 10 बीश्वा पुख्ता जागिरदारों के समय से ही कृषि भूमि रही है ओर कृषि भूमि के रूप में काश्त होती रही है तथा अब भी विभिन्न काश्तकारों द्वारा कृषि भूमि के रूप में काश्त की जा रही है। यह भूमि कभी–भी जोहड या सरकार भूमि नही रही है ओर ना ही कभी भी जोहड या कभी भी सार्वजनिक रूप से काम में आई है, परन्तु गलती से राजस्व रिकार्ड में जोहड दर्ज करदी गई। जागीरकाल के समय आम तौर पर पशुओं का घास (चारा) उत्पादन करने वाली भूमि को भी जोहड दर्ज कर दिया जाता था, जैसा कि नवलगढ ठिकाने की कृषि भूमि भी नीम जोहड के नाम से विख्यात है, यह भूमि सरकारी भूमि नही है बल्कि कृषि भूमि है।

गत पैमाईश के समय आवेदक व आवेदक के पूर्वज भूमि पुराने खसरा नम्बर 807/1 मे से 1 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता भूमि काश्त करते थे व हणमानबक्स के वारीसान सूर्यप्रकाश, रामावतार आदि भूमि खसरा नम्बर 807/7 को काश्त करते थे, परन्तु भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने दोनों नम्बरों को मिलाकर नया खसरा नम्बर 731 बना दिया, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को आवेदक की भूमि के अलग व हणमानबक्स के वारीसान सुर्यप्रकाश, रामावतार आदि की भूमि के अलग खसरा नम्बर बनाना चाहिए था इसके पश्चात सैनीपुरा अलग से राजस्व ग्राम बनने पर भूमि खसरा नम्बर 731 के नये खसरा नम्बर 74 रकबा 1.18 हैक्टेयर बनाये गये तथा इसके पश्चात हणमानबक्स के वारीसान सूर्यप्रकाश, रामावतार आदि के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि रकबा 0.70 हैक्टेर को अलग से दर्ज करवाने के कारण भूमि खसरा नम्बर 74 के नये खसरा नम्बर 74/1 रकबा 0.70 हेक्टेर हणमानबक्स के वारीसान सूर्यप्रकाश, रामावतार आदि के नाम से तथा आवेदक की भूमि के नये खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.48 हैक्टर बनाये गये है, परन्तु राजस्व रिकार्ड को कम्प्यूटर में संग्रहित करते समय खसरा नम्बर 74/1 को खसरा नम्बर 74 व खसरा नम्बर 74/2 को खसरा नम्बर 109/74 रकबा 0.48 हैक्टर दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अब आवेदक भूमि खसरा नम्बर 109/74 रकबा 0.48 हैक्टर का खातेदारी काश्तकार व काबिज है। और जागिरकाल से ही आवेदक व आवेदक के पूर्वज इस भूमि को काश्त करते रहे है और खातेदार के रूप मे काबिज रहे है। अब यही भूमि खसरा नम्बर 109/74 रकबा 0.48 हैक्टर विवादित भूमि है जो कि नये राजस्व ग्राम सैनीपुरा (डूण्डलोद) की सरहद में स्थित है, अन्य भूमि का कोई विवाद नही है। इस भूमि का आवेकद खातेदार काश्तकार है और काबिज है जो जागिरदारो के समय से ही काबिज चला आ रहा है। यह भूमि कभी–भी जोहड या सरकारी भूमि नही रही है बल्कि इस भूमि को कृषि कार्य के उपयोग मे जागीरकाल से ही लेता आ रहा है। इस भूमि को कृषि कार्य के उपयोग में जागिरकाल से ही लेता आ रहा है। इस भूमि पर से

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

जागीरकाल से लेकर अब तक कभी भी आवेदक व आवेदक के पूर्वजों को बेदखल नही किया गया है, अब भी आवेदक ही इस भूमि को काश्त करता है और खातेदार की हैसियत से काबिज है।

हणमानबक्स के वारीसान सूर्यप्राश रामावतार आदि की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 74 को उनसे जरिये विक्रय पत्र आवेदक ने खरीद लिया है ओर खसरा नमबर 74 पर भी आवेदक का ही कब्जा काश्त है। भूमि खसरा नम्बर 109/74 के उत्तर, पूरब व पश्चिम में आवेदक की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 74 स्थित है तथा दक्षिण में दूसरे खातेदारी की भूमि स्थित है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 109/74 के चारो तरफ कृषि भूमि है ओर विवादित भूमि खसरा नम्बर 109/74 मे आने जाने का एकमात्र रास्ता भी आवेदक की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 74 मे से होकर ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। आवेदक ही अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नमबर 74 मे से होकर विवादित भूमि में आ व जा सकता है। इसके अलावा विवादित भूमि इतनी छोटी भूमि है जो कभी–भी जोहड या सरकार भूमि नही हो सकती है, ना ही इस भूमि में पानी ईकट्ठा होने की कोई चोब है जो कि प्रत्येक सार्वजनिक जोहड में होती है। इस प्रकार सम्वत 2009 से लेकर अब तक लगातार आवेदक व आवेदक के पूर्वजो का ही इस भूमि पर कब्जा रहा है और वे ही इस भूमि को लगातार कृषि भूमि के रूप में काम में लेते आ रहे है तथा यह भूमि खसरा मबर 109/74 हमेशा से आवेदक की खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि रही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से जोहड दर्ज करदी गई, जिसकी बाबत आवेदक व आवेदक के पूर्वजो को भोलापन, अनपढ़ व अज्ञानता के कारण अब तक दुरूस्ती नही करवाई जा सकी थी और अब भूमि खसरा नम्बर 109/74 की बाबत घोषणार्थ का वाद भी माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है जो लम्बित है।

इस गलत राजस्व रिकार्ड की बाबत आवेदक को पहले कोई जानकारी नही थी, परन्तु तहसीलदार नवलगढ द्वारा आवेदक के खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करने पर आवेदक को इस गलत रिकार्ड की बाबत सर्वप्रथम पता चला, इससे पूर्व आवेदक को इस गलत रिकार्ड की बाबत कोई जानकारी नही थी इसलिए भी अब तक रिकार्ड में दुरूस्ती नही करवाई जा सकी, परन्तु भविष्य में गलत रिकार्ड रहने के कारण आवेदक अपने वैध अधिकारों से वंचित हो सकता है और भविष्य में कभी भी मुकदमें बाजी बढकर विवाद बढ सकता है तथा राजस्थान सरकार द्वारा भी इस गलत रिकार्ड के आधार पर आवेदक को बेदखल किया जा सकता है इसलिये इस गलत रिकार्ड को दुरूस्ती करवाने के लिए भी माननीय न्यायालय में बाकायदा वाद प्रस्तुत कर दिया गया है।

आवेदक अपनी पीढियों से विवादित भूमि पर खातेदार काश्तकार के रूप में अधिकार पूर्वक काबिज रहा है ओर काश्त करता रहा है, परन्तु गलत रिकार्ड बनने के कारण तहसीलदार नवलगढ ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 91 के राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही चालू की और बिना किसी जांच के तथा आवेदक की समूचित सुनवाई किये बिना ही केवल मात्र हल्का पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को इस भूमि विवादित पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जिसकी अपील भी आवेदक ने अपील अधिकारी के न्यायलय में पेश की थी, परन्तु अपील अधिकारी ने भी केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार तहसील नवलगढ के निर्णय को ही बिना किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

की जांच किये बहाल कर दिया। इस प्रकार तहसीलदार नवलगढ व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय गुणावगुण के आधार पर नही देकर केवलमात्र हल्कापटवारी की रिपोर्ट के आधारा पर दिये है, जो न्यायहित में खिलाफ है। तहसीलदार नवलगढ व अपील अधिकारी के निष्रय के बावजूद भी मोके पर आज तक आवेदक को कभी भी विवादित भूमि से बेदखल नही किया है और अब भी आवेदक ही विवादित भूमि पर काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। खसरा परिवर्तन भी समय समय पर आवेदक के पक्ष में बनते रहे है, परन्तु उनकी बाबत भी तहसीलदार नवलगढ व अपील अधिकारी ने घ्यान नही देते हुऐ बिना किसी जांच के अपने निर्णय पारित किये है जो आवेदक के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित नही करते है। राजस्व रिकार्ड भी सम्वत 2009 से लेकर अब तक लगातार आवेदक व आवेदक के पूर्वजो के पक्ष में उनके नाम से बनता आ रहा है जिसकी बाबत भी तहसीलदार नवलगढ व अपील अधिकारी ने कोई गौर नही किया है। इस प्रकार तहसीलदार नवलगढ व अपील अधिकारी के निर्णय आवेदक के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ प्रभावहीन है और गुण व अवगुण के आधार पर निर्णय पारित नही किये गये है। खातेदारी अधिकारों की बाबत भी अन्तिम निर्णय केवल मात्र वाद के द्वारा ही दोनो पक्ष की समुचित साक्ष्य ली जाकर तय किय जा सकते है जिसकी लिये माननीय न्यायालय क सम्मुख राजस्व वाद भी इसकी बाबत कर दिया गया है जो अदालत हाजा के पास में विचाराधीन है।

अब अनावेदक का प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील नवलगढ आवेदक को विवादित भूमि से जबरन बेदखल करना चाहता है जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार भी नही है, परन्तु दिनांक 21.04.2007 को भी आवेदक को जबरन बेदखल करने की धमकी दी गई है, अगर अनावेदक अपनी इस नाजायज मन्शा के सफल हो जावेगे और आवेदक को विवादित भूमि से जबरन नाजायज रूप से बेदखल कर देगे तो आवेदक का दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना ही बेकार हो जावेगा और आवेदक अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जावेगा तथा आवेदक के अधिकारों पर कुठाराघात होगा जिससे आवेदक को इतना नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में सम्भव नही हो सकेगी। इसके अतिरिक्त आवेदक को कब्जा वापिस प्राप्त करने का दावा भी करना पड़ेगा और हर साल की फसल के नुकसान के दावे करने होगे तथा फसल का कोई सही अन्दाजा नही लगाया जा सकेगा जिससे मुकदमें बाजी बढेगी व धन की बर्बादी होगी। अगर अनावेदक को पाबन्द नही किया गया तो निश्चित रूप से अनावेदक आवेकद को उसकी खातेदारी की विवादित भूमि से नाजायज रूप से जबरन बेदखल कर देगा।

आवेदक का प्रथम–दृष्टया बहुत ही मजबूत मामला है और सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है तथा अगर आवेदक को उसकी खातेदारी की कब्जे शुदा भूमि से बेदखल कर दिया जावेगा तो अपूर्णीय क्षति भी आवेदक को ही होगी।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तादौराने दावा अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह इस गलत रिकार्ड के आधार पर आवेदक को विवादित भूमि से जबरन बेदखल नही करे, ना ही अपने अधिनस्थ अन्य किसी से करावे। आवेदक द्वारा काश्त करने, निनाण करने व फसल काटने व लाटने में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी पैदा नही करे और आवेदक को शांतिपूर्वक विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग करने देवे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावेदक जारी की गई। अनावेदक की ओर से राज पैरौकार उपस्थित। राज पैराकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डूण्डलोद के पुराने खसरा नम्बर 807 रकबा 23 बिघा 10 बिस्वा मुताबिक गिरदावरी सम्वत् 2009–28 तक जो वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें भूमि कि किस्म गै.मु. जोहड दर्ज रिकार्ड है। जोहड भूमि पर काबिज काश्तकार को माननीय उच्च न्यायालय मे जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में गै.मु. जोहड भूमि प्रतिबंधित भूमि है । प्रतिबंन्धित भूमि होने के कारण खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान नही है। वादी स्वयं ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किया जाना अंकित किया है। अतः वाद पत्र मे अंकित खसरा नम्बर गै0मु0 जोहड दर्ज होने के कारण के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही की जाकर बदेखल किया गया है। उक्त भूमि में आवेदक द्वारा अपने पूर्वजों का कब्जा होना अंकित किया जो गलत है उक्त पैरा के संबंध में वादी स्वयं ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर एल.आर.एक्ट की धारा 91 की कार्यवाही किया जाना अंकित किया है। पटवारी हल्का द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने पर कार्यवाही की जाती है वाद पत्र में अंकित गै0मु0 जोहड होने से राजस्थान भू–राजसव अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल कार्यवाही की गई है। वर्णित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड होने से खातेदारी नही दी जा सकती है।

ग्राम डूण्डलोद के पुराने खसरा नम्बर 807 रकबा 23 बीघा 10 बीश्वा भूमि पूर्व से ही जोहड दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल से उक्त भूमि वर्तमान में खरा नम्बर 109/74 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड़ दर्ज है। गै0मु0 जोहड की भूमि प्रतिबन्धित होने के कारण खातेदारी अधिकारी प्रतिभूत नही हो सकते।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को तथा पैरोकार राज ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनविार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– ग्राम डूण्डलोद स्थित भूमि वर्तमान में खसरा नम्बर 109/74 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड़ दर्ज है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.(सी.) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है।
2. सुविधा का संतुलन :– वर्णित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है।
3. अपूरणीय क्षति :– विवादग्रस्त भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगें। निर्णय आज दिनांक **17.02.2020** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

17-2-20
(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:53:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: